दैनिक भास्कर दिनांक 20/02/2016

# अल्पसंख्यक मामलात विभाग

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांकः प.118/IDMI/नि.अ.मा.वि./2016 जयपुर, दिनांकः 9.2.2016

## विज्ञप्ति

**निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मदरसों/संस्थानों (प्रारंभिक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) के अवसंरचनात्मक विकास (Infrastructure Development of Minority Institutions [IDMI]) हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-**

- अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्रारंभिक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) के अवसंरचना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है।
- उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और शहरों में स्थित पात्र अल्पसंख्यक संस्थाओं (निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल) को वरीयता दी जाएगी।

पात्रता शर्तें:-

- इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/ट्रस्ट/संस्थान जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित कर रहे हैं, ही पात्र होंगे।
- केवल ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो न्यूनतम तीन वर्षों से अस्तित्व में है, उन्हीं को इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिये विचारार्थ दृष्टिगत रखा जाएगा।
- **योजना के अन्तर्गत पात्र स्वैच्छिक संगठनः-**

  -उचित विधान के अनुसार नियम अथवा आर्टिकल ऑफ ऐसोसिऐशन होना चाहिए।

  -उचित रूप से गठित एक प्रबंध कार्यकारणी होनी चाहिए जिसमें उसके अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट ब्यौरा विधान में उल्लेखित किया गया हो।

  -संस्था के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए संज्ञानी व्यक्तियों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने की स्थिति में हो, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं हो।

  -भाषा अथवा लिंग भेद आदि के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से पक्षपात न हो।

  -किसी राजनीति पार्टी के हितों के लिए कोई कार्य नहीं कर रही हो अथवा न किसी रूप से सामुदायिक दुरभावना को उकसाये।
- जिस संस्थान/विद्यालय के लिए सहायता मांगी जा रही है, वह कम से कम 3 वर्ष से संचालित हो और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का पर्याप्त नामांकन हो। संस्था/विद्यालय व्यावसायिक नहीं हो जो अधिक फीस लेते हो।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का प्रमाण पत्र जो निदेशालय अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी किया जाता है (अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट **http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है)।

वित्तीय पैटर्नः-

- यह योजना निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तपोषण करेगी जो प्रति अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये होगी। शेष 25 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं संस्था को करना होगा। यह वित्तपोषण निम्नलिखित कार्यों के लिए होगा:-

1. विद्यमान प्रारंभिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शैक्षणिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं सहित अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला।
2. पुस्तकालय, शौचालय (बालक/बालिका), पेयजल सुविधा आदि के सुदृढ़ीकरण हेतु।
3. ऐसे शिक्षण संस्थाओं में बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावासों की सुविधा हेतु।
4. उपरोक्त 2 व 3 में शामिल न की गई अन्य शैक्षणिक अवसंरचना (रेम्प्स/प्रयोगशाला विशेष योग्यजन बच्चों के लिए)/परन्तु जो अल्पसंख्यक संस्था के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य/केन्द्रीय अनुदान सहायता समिति की दृष्टि में सही हो।

*(भौतिक अवसंरचना के लिये आवश्यक धनराशि का आकलन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुसूचित दरों के आधार पर होना आवश्यक है।)*

इच्छुक संस्थाएं IDMI योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन फार्म वेबसाइट **http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in/mhrd.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक (प्रथम) निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

निर्धारित आवेदन फार्म दो प्रतियों में मय समस्त आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निदेशालय में जमा करावें। आवेदन व्यक्तिशः एवं डाक से प्राप्त होने की अंतिम तिथि– 31.3.2016 है।

डीआईपीआर/सी/1745/2016

शकुन्तला सिंह, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव